6.7.2021

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब पेश हुआ जिसकी नकल वकील प्रार्थीगण को दिलाई गई। वकील प्रार्थीगण की ओर से दस्तावेज सूची के साथ वादग्रस्त आराजी पर कब्जे का हक के फोटोग्राफ पेश किया गया जो संलग्न पत्रावली है। ~~[illegible]~~ अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत सुना गया। चूंकि प्रार्थीगण खातेदार है तथा प्रार्थीगण की सहमति के बिना विपक्षीगण को निर्माण करने अथवा मौके की स्थिति का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्राईमाफेसी केस प्रमाणित होता है तथा विपक्षीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी संख्या 130 रकबा 0.7600 है. भूमि पर प्रार्थीगण को आवागमन करने से नहीं रोके, फाटक पर ताला नहीं लगावे, निर्माण कार्य नहीं करें, रहन बैय बख्शीश बैयान नहीं करें, रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें मूल वाद के निस्तारण तक उक्त आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohar Singh Meena
Date: 2021.07.22 15:33:12 IST
Reason: SelfAttested